

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सूचना

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की रजिस्ट्री में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/2021, दिनांक 03 जुलाई, 2021 को जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे एवं उनके निरन्तरता में केवल आठवीं योग्यता धारी अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र दिनांक 26/11/2022 तक एवं शपथ-पत्र दिनांक 04/01/2023 तक मंगाये गये थे।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के दिव्यांग पद के 2 पद के लिये 4 गुना अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण निम्न अन्य 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों से शपथ-पत्र आहूत किया जाता है—

सरल क्रमांक	पंजीयन क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग
1	3416	VIJAY KUMAR MARAVI	TILAK RAM MARAVI	12-03-1990	M	ST
2	6754	SANGAM SINGH DHRUW	KRISHNA KUMAR DHRUW	06-03-1990	M	ST

उक्त 02 अभ्यर्थियों द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ-पत्र के प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र, स्पीड पोस्ट अथवा हमदस्त के माध्यम से इस सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक-09/01/2023 को संध्या 05.00 बजे तक रजिस्ट्री में प्राप्त होना अनिवार्य है। हमदस्त के माध्यम से शपथ-पत्र समस्त कार्य दिवस में कार्यालयीन अवधि अर्थात् प्रातः 10.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे—

1. कार्यालयीन समय पर शपथ-पत्र उच्च न्यायालय स्थापना भर्ती शाखा, छ.ग. उच्च न्यायालय, बोदरी बिलासपुर में हमदस्त जमा किया जा सकेगा।

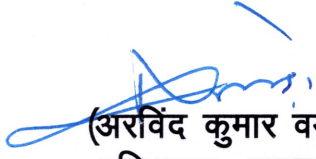
अथवा

स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय— रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय, बोदरी बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पिन— 495220 को सम्बोधित कर प्रेषित करना होगा।

2. यदि शपथ-पत्र को हमदस्त जमा किया जावेगा तब पावती प्राप्त करने हेतु शपथ-पत्र की छायाप्रति साथ लेकर आना होगा।
3. यदि शपथ-पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जावेगा, तब बंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों की भर्ती के संबंध में शपथ-पत्र" उल्लेखित करना आवश्यक है।

अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त शपथ-पत्र को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। यदि उक्त अभ्यर्थियों का अंतिम तिथि तक शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा तब उसके सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

नोट— उपरोक्त अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग) के अभ्यर्थी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत कर सकते हैं।


(अरविंद कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
05.01.2023